"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 453] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2017 — कार्तिक 3, शक 1939

## वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

### अधिसूचना
सं. 34/2017- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(136). — छतीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 1/2017 राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43-2017/वाक/पांच(69), तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 में, तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में और निम्नलिखित संसोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची – 2.5% में,-

(i) क्रम सं. 29 में कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, "0802, 0813", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 30 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा,-

| "30 (क) | 0804 | आम कटे हुए, सुखाए हुए"; |
|---|---|---|

(iii) क्रम संख्या 99 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

| "99 (क) | 1905 या 2106 | खाखरा, प्लेन चपाती/रोटी "; |
|---|---|---|

(iv) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

| | | |
|---|---|---|
| "101 (क) | 2106 90 | नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जो कि तत्काल खाए जा सकते हैं, उनसे भिन्न जो कि यूनिट कंटेनरों में बंद हों, और-<br>(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नाम लिखा हो; या<br>(ख) ऐसा ब्रांड नाम लिखा हो जिस पर किसी कानून के न्यायालय में दावा किया जा सकता हो या अधिकार को लागू कराया जा सकता है [उनसे भिन्न जहां कि ऐसे ब्रांड नाम से संबंधित कार्रवाई योग्य किसी दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का अनुबंध में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]"; |

(v) क्रम संख्या 164 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "

"(क) केरोसिन ऑइल पीडीएस,

(ख) जहाज़ों और यानों में उपयोग के लिए निम्नलिखित बंकर फ्यूल्स अर्थात :

i. आईएफओ 180 सीएसटी

ii. आईएफओ 380 सीएसटी"

को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 181 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

| | | |
|---|---|---|
| "181 (क) | 30 | औषधि द्रव्य (जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी या जैव रसायन प्रणालियों में प्रयुक्त औषधि-द्रव्य भी है) जिनका विनिर्माण अनन्य के रूप से, यथास्थिति, औषधि और प्रसारण सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत पुस्तकों या भारतीय होम्योपैथी भेषज-संग्रह या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइड किंगडम या जर्मन होम्योपैथी भेषज-संग्रहों में वर्णित फार्मूलों के अनुसार किया जाता है और ऐसी पुस्तकों या भेषज संग्रहों में यथा-विनिर्दिष्ट नाम के अधीन बेचे जाते हैं।"; |

(vii) क्रम संख्या 187 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

| | | |
|---|---|---|
| "187 (क) | 3915 | प्लास्टिक के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स"; |

(viii) क्रम संख्या 188 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

| | | |
|---|---|---|
| "188(क) | 4004 00 00 | रबर के वेस्ट पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स (हार्ड रबर से भिन्न)"; |

(ix) क्रम संख्या 191 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

| | | |
|---|---|---|
| "191 क | 4017 | हार्ड रबर के वेस्ट एंड स्क्रैप" |

(x) क्रम संख्या 198क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

| | | |
|---|---|---|
| "198 ख | 4707 | पेपर या पेपर बोर्ड के रिकवर्ड वेस्ट एंड स्क्रैप" |

(xi) क्रम संख्या 201क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।

(xii) क्रम सं0 218 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

| | | |
|---|---|---|
| ''218क | 5605 0010 | रीयल जरी थ्रेड (गोल्ड) या सिल्वर थ्रेड , जो टेक्सटाइल थ्रेड से युक्त हो '' |

(xiii) क्रम सं. 219 में, कॉलम (2) में अंक ''5705'' के स्थान पर ''5702, 5703, 5705'' अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(xiv) क्रम संख्या 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

| | | |
|---|---|---|
| "228क | 7001 | ग्लास के क्लेट या अन्य वेस्ट या स्क्रैप" ; |

(xv) क्रम संख्या 234 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

| | | |
|---|---|---|
| "234क | 84 या 85 | ई-वेस्ट<br>स्पष्टीकरणः- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए ई-वेस्ट का मतलब है कि, ई-वेस्ट (मेंजमेंट) नियम 2016 (भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा0का0नि0338(अ) दिनांक 23 मार्च, 2016) की अनुसूची सूचीबद्ध इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रानिक उपकरण, जिसमें अवयव, उपभोज्य, भाग तथा स्पयेर जो इन उपकरणों को परिचालन के योग्य बनाते हैं "; |

(xvi) क्रम संख्या 263क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

| | | |
|---|---|---|
| "264 | कोई अध्याय | बायोमॉस ब्रिक्वेट्स'' |

(ख) अनुसूची II-6% में, -

(i) क्रम सं. 16 में, कॉलम (3) में शब्द और कोष्ठक ''खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनन्नास, एवोकैडो, अमरूद, आम और मैंगो स्टीन, सूखे हुए'' के स्थान पर शब्द और कोष्ठक ''खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनन्नास, एवोकैडो, अमरूद, और मैंगो स्टीन, सूखे हुए'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 17 में, कॉलम (3) में, शब्द और अंक "अध्याय 8 के सूखे फल [सूखे इमली के अलावा,]", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, " अध्याय 8 के सूखे फल [सूखी इमली और सूखे चेस्टनट (सिंघाडा) चाहे ये छिल्का युक्त हों या नहीं, के अलावा]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 46 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि,

"नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जो कि तत्काल खाए जा सकते हैं [भुना हुआ चना के अलावा], जो कि यूनिट कंटेनरों में बंद हों और

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नाम लिखा हो; या

(ख) ऐसा ब्रांड नाम लिखा हो जिस पर किसी कानून के न्यायालय में दावा किया जा सकता हो या अधिकार को लागू कराया जा सकता है [उनसे भिन्न जहां कि ऐसे ब्रांड नाम से संबंधित कार्रवाई योग्य किसी दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का अनुबंध में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]" को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iv) क्रम संख्या 111 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिति क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

| | | |
|---|---|---|
| ''132क | 5401 | मानव निर्मित फिलामेंट के सिलाई धागे, चाहे खुदरा बिक्री के लिए हों या नहीं |
| 132ख | 5402, 5403, 5404, 5405, 5406 | सैंथेटिक अथवा आर्टिफिशयल फिलामेंट यार्न |
| 132ग | 5508 | मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के सिलाई धागे |
| 132घ | 5509, 5510, 5511 | मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के यार्न |

(vi) क्रम संख्या 137 में , कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्दों और अंकों " जैसे टैक्सटाइल धागा का समिश्रण वाला जरी धागा (स्वर्ण) और रजत धागा," को निरसित किया जायेगा ।

(ग) अनुसूची III में – 9%

(i) क्रम संख्या 16 में, कॉलम (3) मे ''पिज्जा ब्रेड'' शब्दों के स्थान पर "पिज्जा ब्रेड, खाखरा, प्लेन चपाती या रोटी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ii) क्रम संख्या 23 में, कालम (3) में ''तुरंत खाये जा सकने वाले पदार्थों'' शब्दों के स्थान पर ''तुरंत खाये जा सकने वाले पदार्थों, खाखरा'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iii) क्रम संख्या 54 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

| | | |
|---|---|---|
| "54क | 3213 | पोस्टर कलर" ; |

(iv) क्रम सं. 63 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, ''माडलिंग पेस्ट, जिसमें जो बच्चों के खेलने के लिए हैं वे भी आते हैं; "दंतमोम" या "दंत छाप यौगिकों" के रूप में ज्ञात निर्मितियां, जो फुटकर विक्रय के लिए सेटों में, पैकिंगों में या प्लेटों में, अश्व नाल के आकार में डंडियों या वैसे ही रूप में रखी गई है, दंत चिकित्सा के उपयोग के लिए (निष्तापित जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट के) प्लास्ट के आधार वाली अन्य निर्मितियां'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 102 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को लोप किया जाएगा,

(vi) क्रम संख्या 114 में, कॉलम (3) में शब्दों'' रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स (हार्ड रबर से भिन्न) तथा उनसे प्राप्त पाउडर तथा ग्रेनुअल्स'' के स्थान पर शब्दों'' रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स

एंड स्क्रैप्स (हार्ड रबर से भिन्न) से प्राप्त पाउडर तथा ग्रेनुअल्स'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) क्रम संख्या 158 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(viii) क्रम संख्या 159 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के शब्दों "सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के अलावा अन्य सभी सामान" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ix) क्रम संख्या 160 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के शब्दों "कृत्रिम फिलामेंट यार्न के अलावा अन्य सभी सामान" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(x) क्रम संख्या 164 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xi) क्रम संख्या 165 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xii) क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

| | | |
|---|---|---|
| "177क | 6802 | निम्न को छोड़कर सभी वस्तु :-<br>i. मार्बल और ग्रेनाइड की सभी वस्तुएं<br>ii. मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान । |

(xiii) क्रम संख्या 188 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xiv) क्रम संख्या 303 और उससे प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

| | | |
|---|---|---|
| "303क | 8305 | लूज लीप बांडर्स या फाइल्स की फिटिंग्स लेटर क्लिप्स, लेटर कार्नर्स , पेपर क्लिप्स, इंडेक्सिंग टैक्स, और इसी प्रकार की कार्यालीय वस्तुएं, जो कि बेस मेटल से बनी हों; स्टेपल, स्ट्रिप्स (उदाहरणार्थ कार्यालय, अपहोल्स्ट्री, पैकेजिंग के लिए) बेस मेटल के" ; |

(xv) क्रम सं. 308 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

| | | |
|---|---|---|
| "308क | 84 | फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन, जिनकी शक्ति 15 एचपी से अधिक न हो, में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्स |
| 308ख | 84 या 85 | विद्युत चालित पम्पों, जो कि मुख्य रूप से चल निकालने के लिए तैयार किए जाते हों जैसे कि सेंट्रीफ्युबल पम्प (हॉर्जिंटल या वर्टिकल), डीप ट्यूबवेल टर्बाइन पम्प्स, सबमर्सिबल पम्प, एक्सल फ्लो और मिक्स्ड फ्लो वर्टिकल पम्प में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्स''; |

(xvi) क्रम सं. 369 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

| | | |
|---|---|---|
| "369क | 8483 | प्लेन शाफ्ट बियरिंग" ; |

(घ) अनुसूची IV - 14%

(i) क्रम संख्या 23 में, कॉलम (3) में शब्द ''पैन्स या इसी प्रकार की वस्तुएं या पैकिंग्स'' के स्थान पर शब्द और कोष्ठक, ''पैन्स या इसी प्रकार की वस्तुएं या पैकिंग्स [पोस्टर कलर से भिन्न]'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा।

(iii) क्रम संख्या 50 में कॉलम (3) में शब्दों ''वेस्ट एंड स्क्रैप समेत" के स्थान पर ''वेस्ट एंड स्क्रैप के अलावा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम संख्या 70 में, कालम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''मार्बल या ग्रेनाइड की सभी वस्तुएं [मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान के अलावा]";

(v) क्रम संख्या 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।

(vi) क्रम संख्या 135 में, कॉलम (3) में, ''और प्लेन साफ्ट वियरिंग'' शब्दों को निरसित किया जाएगा।

(ङ.) अनुबंध में, (ख) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"बशर्ते कि, यदि ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही किए जाने के लिए दावा या प्रवर्तनीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति और यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल को पैक करने वाले दो अलग-अलग व्यक्ति है तो वह व्यक्ति जो कि ब्राण्ड नेम पर दावा कर सकता है या जिसका प्रवर्तनीय अधिकार है ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले राज्य कर आयुक्त के पास इस आशय का शपथ पत्र जमा करेगा की वह स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नेम पर अपने कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो कि ऐसे यूनिट कंटेनरों में ऐसे ब्राण्ड नेम वाले माल की पैकिंग करता है] को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह ऐसे यूनिट कंटेनरों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्याही से यह मुद्रित कर सकेगा कि ऐसे ब्राण्ड नेम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नेम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है। "

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, तारीख 13 अक्तूबर 2017

क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(136). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच (136), दिनांक 13-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 34/2017-State Tax (Rate)

No. F-10- 80/2017/CT/V (136). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 1/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (69), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

(A) in Schedule I - 2.5%,-

(i) in S. No. 29, for the entry in column (2), the entry, "0802, 0813", shall be substituted;

(ii) after S. No. 30 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

| "30A | 0804 | Mangoes sliced, dried" ; |
|---|---|---|

(iii) after S. No. 99 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

| "99A | 1905 or 2106 | Khakhra, plain chapatti or roti" ; |
|---|---|---|

(iv) after S. No. 101 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

| "101A | 2106 90 | Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form, other than those put up in unit container and,-<br>(a) bearing a registered brand name; or<br>(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or any enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]" ; |
|---|---|---|

(v) in S. No. 164, for the entry in column (3), the entry,

" (a) kerosene oil PDS,

(b) The following bunker fuels for use in ships or vessels, namely,

i. IFO 180 CST

ii. IFO 380 CST", shall be substituted;

(vi) after S. No. 181 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

| "181A | 30 | Medicaments (including those used in Ayurvedic, Unani, Siddha, Homeopathic or Bio-chemic systems), manufactured exclusively in accordance with the formulae described in the authoritative books specified in the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) or Homeopathic Pharmacopoeia of India or the United States of America or the United Kingdom or the German Homeopathic Pharmacopoeia, as the case may be, and sold under the name as specified in such books or pharmacopoeia"; |
|---|---|---|

(vii) after S. No. 187 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

| "187A | 3915 | Waste, parings or scrap, of plastics"; |
|---|---|---|

(viii) after S. No. 188 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

| "188A | 4004 00 00 | Waste, parings or scrap of rubber (other than hard rubber)"; |
|---|---|---|

(ix) after S. No. 191 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

| "191A | 4017 | Waste or scrap of hard rubber"; |
|---|---|---|

(x) after S. No. 198A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

| "198 B | 4707 | Recovered waste or scrap of paper or paperboard"; |
|---|---|---|

(xi) S. No. 201A and entries relating thereto shall be omitted;

(xii) after S. No. 218 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

| "218A | 5605 0010 | Real zari thread (gold) and silver thread, combined with textile thread"; |
|---|---|---|

(xiii) in S. No. 219, in column (2), for the figure, "5705", the figures "5702, 5703, 5705", shall be substituted;

(xiv) after S. No. 228 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

| "228A | 7001 | Cullet or other waste or scrap of glass"; |
|---|---|---|

(xv) after S. No. 234 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

| "234A | 84 or 85 | E-waste<br>Explanation: For the purpose of this entry, e-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule I of the E-Waste (Management) Rules, 2016, published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23rd March, 2016, including the components, consumables, parts and spares which make these products operational"; |
|---|---|---|

(xvi) after S. No. 263A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

| "264 | Any chapter | Biomass briquettes" ; |
|---|---|---|

(B) in Schedule II-6%,-

(i) in S. No. 16, in column (3), for the words and brackets "Dates (soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, dried", the words and brackets, "Dates (soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas and mangosteens, dried", shall be substituted;

(ii) in S. No. 17, in column (3), for the words figure and brackets, "dried fruits of Chapter 8[other than tamarind, dried]", the words, figure and brackets, "dried fruits of Chapter 8 [other than dried tamarind and dried chestnut (singhada) whether or not shelled or peeled]", shall be substituted;

(iii) in S. No. 46, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -

"Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form [other than roasted gram], put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or any enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]";

(iv) S. No. 111 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(v) after S. No. 132 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely : -

| | | |
|---|---|---|
| "132A | 5401 | Sewing thread of manmade filaments, whether or not put up for retail sale |
| 132B | 5402, 5403, 5404,5405,5406 | Synthetic or artificial filament yarns |
| 132C | 5508 | Sewing thread of manmade staple fibres |
| 132D | 5509, 5510, 5511 | Yarn of manmade staple fibres"; |

(vi) in S. No. 137, in the entry in column (3), the words and figures "such as Real zari thread (gold) and silver thread, combined with textile thread)," shall be omitted;

(C) in Schedule III-9%,-

(i) in S. No. 16, in column (3), for the words "other than pizza bread", the words, "other than pizza bread, khakhra, plain chapatti or roti", shall be substituted;

(ii) in S. No. 23, in column (3), for the words "preparations in ready for consumption form", the words, "preparations in ready for consumption form, khakhra", shall be substituted;

(iii) after S. No. 54 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

| | | |
|---|---|---|
| "54A | 3213 | Poster colour" ; |

(iv) in S. No. 63, for the entry in column (3), the entry, "Modelling pastes, including those put up for children's amusement; Preparations known as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate)", shall be substituted;

(v) S. No. 102 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(vi) in S. No. 114, in column (3), for the words and brackets "Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom", the words and brackets "powders and granules obtained from waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber)" shall be substituted;

(vii) S. No. 158 and entries related thereto shall be omitted;

(viii) in S. No. 159, for the entry in column (3), the entry "All goods other than synthetic filament yarns", shall be substituted;

(ix) in S. No. 160, for the entry in column (3), the entry "All goods other than artificial filament yarns", shall be substituted;

(x) S. No. 164 and entries related thereto shall be omitted;

(xi) S. No. 165 and entries related thereto shall be omitted;

(xii) after S. No. 177 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

| | | |
|---|---|---|
| "177A | 6802 | All goods other than :-<br>(i) all goods of marble and granite;<br>(ii) Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone" ; |

(xiii) in S. No. 188, and entries relating thereto, shall be omitted;

(xiv) after S. No. 303 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

| | | |
|---|---|---|
| "303A | 8305 | Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal" ; |

(xv) after S. No. 308 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely : -

| | | |
|---|---|---|
| "308A | 84 | Parts suitable for use solely or principally with fixed Speed Diesel Engines of power not exceeding 15HP |
| 308B | 84 or 85 | Parts suitable for use solely or principally with power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps( horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps"; |

(xvi) after S. No. 369 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

| | | |
|---|---|---|
| "369A | 8483 | Plain shaft bearings" ; |

(D) in Schedule-IV-14%, -

(i) in S. No. 23, in column (3), for the words, "pans or in similar forms or packings", the words and brackets, "pans or in similar forms or packings [other than poster colour]", shall be substituted;

(ii) S. No. 34 and entries related thereto shall be omitted;

(iii) in S. No. 50, in column (3), for the words "including waste and scrap", the words, "other than waste and scrap", shall be substituted;

(iv) in S. No. 70, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely : -

"All goods of marble or granite [other than Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone]";

(v) S. No. 112 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(vi) in S. No. 135, in column (3), the words, "and plain shaft bearings", shall be omitted;

(E) in ANNEXURE, after point (b), the following proviso shall be inserted :-
"Provided that, if the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name and the person undertaking packing of such goods in unit containers are two different persons, then the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name shall file an affidavit to that effect with the jurisdictional Commissioner of Central tax of the person undertaking packing of such goods that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and he has authorised the person [undertaking packing of such goods in unit containers bearing said brand name] to print on such unit containers in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of such brand name he [the person owning the brand name] is voluntarily foregoing the actionable claim or enforceable right voluntarily on such brand name."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

## अधिसूचना

सं. 35/2017- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(137). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस परिषद की सिफारिशो के आधार पर, एतद्द्वारा राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 2/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43-2017/वाक/पांच(70), तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 में, तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में, क्रम संख्या 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

| "122 क | 4907 | ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स" |
|---|---|---|

(ii) क्रम संख्या 149 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

| "150 | - | केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय निकाय या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी निकाय द्वारा की जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति।" |
|---|---|---|

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (iV) के बाद निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(V) वाक्य "सरकारी निकाय" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय जिसमें सोसायटी, ट्रस्ट निगम भी आते हैं, जोकि;

(क) संसद या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम

(ख) किसी सरकार द्वारा किया गया

और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या इससे अधिक की भागीदारी हो और जिसका काम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना है।"

(ग) अनुबंध I में, (ख) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"बशर्ते कि, यदि ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही किए जाने के लिए दावा या प्रवर्तनीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति और यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल को पैक करने वाले दो अलग-अलग व्यक्ति है तो वह व्यक्ति जो कि ब्राण्ड नेम पर दावा कर सकता है या जिसका प्रवर्तनीय अधिकार है ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले राज्य कर आयुक्त के पास इस आशय का शपथ पत्र जमा करेगा की वह स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नेम पर अपने कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो कि ऐसे यूनिट कंटेनरों में ऐसे ब्राण्ड नेम वाले माल की पैकिंग करता है] को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि

वह ऐसे यूनिट कंटेनरों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्याही से यह मूद्रित कर सकेगा कि ऐसे ब्राण्ड नेम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नेम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है। "

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(137). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(137), दिनांक13-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 35/2017-State Tax (Rate)

No. F-10- 80/2017/CT/V (137). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 2/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (70), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

(A) in the Schedule,-

(i) after S. No. 122 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

| | | |
|---|---|---|
| "122A | 4907 | Duty Credit Scrips"; |

(ii) after S. No. 149 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

| | | |
|---|---|---|
| "150 | - | Supply of goods by a Government entity to Central Government, State Government, Union territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union territory or local authority, against consideration received from Central Government, State Government, Union territory or local authority in the form of grants"; |

(B) in the Explanation, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-

"(v) The phrase "Government Entity" shall mean an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, which is:

(a) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

(b) established by any Government,

with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State government, Union territory or a local authority.".

(C) in ANNEXURE I, after point (b), the following proviso shall be inserted :-

"Provided that, if the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name and the person undertaking packing of such goods in unit containers are two different persons, then the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name shall file an affidavit to that effect with the jurisdictional Commissioner of State tax of the person undertaking packing of such goods that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and he has authorised the person [undertaking packing of such goods in unit containers bearing said brand name] to print on such unit containers in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of such brand name he [the person owning the brand name] is voluntarily foregoing the actionable claim or enforceable right voluntarily on such brand name."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

## अधिसूचना

सं. 36/2017- राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(138). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 4/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43-2017/वाक/पांच/(72), तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 में,तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) क्रम संख्या 5 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

| क्रम सं0 | टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय | माल का विवरण | वस्तुओं की आपूर्ति | प्राप्त करने वाला |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "6. | कोई अध्याय | इस्तेमाल किए गए वाहन, जब्त की गई वस्तु, पुरानी और प्रयुक्त माल, अपशिष्ट और स्क्रैप | केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण | कोई प्राधिकृत व्यक्ति" |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2017

क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(138). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(138), दिनांक13-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी**, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 36/2017-State Tax (Rate)

No. F-10- 80/2017/CT/V (138). — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 4/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (72), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification,-

(i) after S. No. 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

TABLE

| Sl. No. | Tariff item, sub- heading, heading or Chapter | Description of Goods | Supplier of goods | Recipient of supply |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 6. | Any Chapter | Used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap | Central Government, State Government, Union territory or a local authority | Any registered person |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

## अधिसूचना

सं 37 /2017-राज्य कर(दर)

क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(139). — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतत द्वारा, उन वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है, जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के तत्संबंधी प्रविष्टि के टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट के अनुसार स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में राज्य कर की दर तथा स्तंभ (5) में निर्दिष्ट शर्त के अधीन हों, को अधिसूचित करती है, यथा :-

## तालिका

| क्रम सं. | अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष, या टैरिफ मद | माल का विवरण | दर | शर्त सं. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 87 | मोटर व्हीकल | राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 1/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43-2017/वाक/पांच/(69), तारीख 28 जून,2017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 में, तारीख 29 जून,2017 को प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65% | 1 |
| 2 | 87 | मोटर व्हीकल. | राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 1/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43-2017/वाक/पांच/(69), तारीख 28 जून,2017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 में, तारीख 29 जून,2017 को प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65% | 2 |

2. बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 1 जुलाई 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,

(1) इस अधिसूचना में उल्लिखित , "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975(1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष, अध्याय से है ।

(2) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची की व्याख्या से संबंधित नियम, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोटस और सामान्य स्पष्टीकरण और टिप्पणियां भी शामिल है, इस अधिसूचना की व्याख्या के लिए भी लागू होंगे ।

## अनुबंध

| शर्त सं0 | शर्त |
|---|---|
| 1 | मोटर वाहन को पट्टाकर्ता ने 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसे 1 जुलाई, 2017 के पहले पट्टे पर दिया हो । |
| 2 | i. मोटर वाहन का आपूर्ति कर्ता एक पंजीकृत व्यक्ति हो ।<br>ii. ऐसा आपूर्तिकर्ता जिसने मोटर वाहन को 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसने उस पर भुगतान किये गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया हो। |

छतीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(139). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(139), दिनांक13-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छतीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 37/2017-State Tax (Rate)

No. F-10- 80/2017/CT/V (139). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the State tax on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, at the rate specified in corresponding

entry in column (4) and subject to relevant conditions annexed to this notification, if any, specified in the corresponding entry in column (5) of the Table aforesaid:

TABLE

| Sl. No. | Chapter, Heading, Sub- heading or Tariff item | Description of Goods | Rate | Condition No. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 87 | Motor Vehicles | 65% of State tax applicable otherwise on such goods under Notification No. 1/2017-State Tax notification No. F-10-43/2017/CT/V(69), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) No. 252 of Chhattisgarh, dated the 29th June, 2017, | 1 |
| 2. | 87 | Motor Vehicles | 65% of State tax applicable otherwise on such goods under No. 1/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (69), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) No. 252 of Chhattisgarh, dated the 29th June, 2017, | 2 |

2. Provided that nothing contained in this notification shall apply on or after1st July, 2020.

Explanation –For the purposes of this notification, -

(i) "Tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

| Condition No. | Condition |
|---|---|
| 1. | The Motor Vehicles was purchased by the lesser prior to 1st July, 2017 and supplied on lease before 1st July, 2017 |
| 2. | The supplier of Motor Vehicle is a registered person.<br>Such supplier had purchased the Motor Vehicle prior to 1st July, 2017 and has not availed input tax credit of central excise duty, Value Added Tax or any other taxes paid on such vehicles |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

## अधिसूचना

सं 46 /2017-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(140). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-46-2017/वाक/पांच/(90), तारीख 1 जुलाई, 2017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 274 में, तारीख 4 जुलाई, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) शब्द "पचत्तर लाख रूपये" के स्थान पर "एक करोड़" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(140). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-80/2017/वाक/पांच(140), दिनांक13-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

## NOTIFICATION

No. 46/2017-State Tax

No. F-10- 80/2017/CT/V (140). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. F-10-46/2017/CT/V(90), dated the 1st July, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 274, dated the 4th July, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) for the words "seventy-five lakh rupees", the words, "one crore" shall be substituted;

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.